झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :— रा0खा0आ0 (शिकायत) गढ़वा / PDS 96 / 2021— 480

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः— 27.05.2022

विषयः— **गढ़वा जिले के बड़गड़ प्रखण्ड अर्न्तगत तेहरी पंचायत के हेसातु एवं कोरवाडीह ग्राम के PVTG परिवारों को राशन नहीं मिलने संबंधी मामले में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा पारित आदेश पर कार्रवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि गढ़वा जिला अर्न्तगत तेहरी पंचायत के हेसातु एवं कोरवाडीह ग्राम के PVTG परिवारों को राशन नहीं मिलने संबंधी मामले में अपर समाहर्ता—सह—जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा सुनवाई करते हुए उक्त मामले में पारित आदेश की प्रति उनके ज्ञापांक—296 दिनांक—22.03.2022 द्वारा आयोग को उपलब्ध कराया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

उल्लेखनीय है कि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा पारित आदेश में तत्कालीन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी भण्डरिया—सह—बड़गड़ एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को उक्त मामले में दोषी पाया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मामले में अपर समाहर्ता—सह—जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा पारित आदेश के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः—यथोक्त।

विश्वासभाजन

26/5/22

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता—झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची—834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

673 Date 11/05/2022

(81)

कार्यालय : जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, गढ़वा।

(जिला राजस्व शाखा)

अभिलेख संख्या–01 / 2021–22

शिकायतकर्त्ता ग्रामीण जनता, ग्राम हेसातु एवं कोरवाडीह प्रखण्ड–बड़गड़

–बनाम–

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा।

दिनांक	आदेश	अभियुक्ति

प्रशाखा पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची के पत्रांक–108, दिनांक–03.02.2022 के द्वारा ग्रामीण जनता, ग्राम हेसातु एवं कोरवाडीह, प्रखण्ड बड़गड़ अंतर्गत PVTG परिवार को राशन नहीं मिलने संबंधी दैनिक समाचार Times of India में दिनांक–31.01.2022 को प्रकाशित हुई है, जिसमें PVTG परिवारों द्वारा विगत 15 माह से राशन से वंचित किये जाने का शिकायत किया गया है। निदेशानुसार उक्त शिकायत को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 का उल्लंघन मानते हुए धारा–15(5) की उक्त धारा–(1) के तहत् अंगीकृत कर सुनवाई करने का निर्णय लिया गया तथा जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, गढ़वा को नामित कर इस कार्यालय का पत्रांक–08 / (मु0), दिनांक–17.02.2022 के द्वारा प्राप्त पत्र की छायाप्रति भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग करते हुए दिनांक–28.02.2022 को पक्ष रखने हेतु निदेश दिया गया।

निर्धारित तिथि–28.02.2022 को ज़िला आपूर्त्ति पदाधिकारी, गढ़वा के प्रतिनिधि श्री राजीव दूबे, लिपिक, जिला आपूत्ति कार्यालय, गढ़वा उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, भण्डरिया एवं बड़गड़ से जॉच कराते हुए जॉच प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक–93, दिनांक–31.01.2022, पत्रांक–122 एवं 123 दिनांक–09.01.2022 के द्वारा विभाग को प्रेषित की गई है, पत्र की छायाप्रति अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया गया। प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि प्रतिवेदित 33 व्यक्तियों में से 05 व्यक्ति यथा–छोटू कोरवा, कुलची देवी, मुखलनी देवी, दिलबसिया देवी, मोहिनी देवी का कार्ड पूर्व में था अथवा नही, यदि पूर्व में कार्ड था तो इन्हे किस तिथि को डिलीट किया गया प्रतिवेदन में स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, भण्डरिया–सह–बड़गड़ से प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक–05.03.2022 को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, भण्डरिया–सह–बड़गड़ उपस्थित होकर अपने पत्रांक–19, दिनांक–05.03.2022 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया हैं कि बड़गड़ प्रखण्ड के तेहरी पंचायत के हेसातु एवं कोरवाडीह ग्राम के 31 अंत्योदय अन्य योजना (AAY) लाभुकों का राशन कार्ड दिनांक–22.09.2020 एवं 23.09.2020 की तिथि को डिलीट कर दिया गया तथा पुनः 8 से 19 माह की अवधि के बाद राशन कार्ड (PH) बनाकर राशन दिया जा रहा है। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्व में सभी अंत्योदय अन्य योजना कार्डधारी के कार्ड में गलत आधार संख्या दर्ज होने के कारण Duplicate UIDAI के तहत कार्ड डिलीट किया गया था। बाद में सही आधार नं0 प्राप्त कर नया राशन कार्ड बनाया गया है इस प्रकार स्पष्ट है कि निम्नलिखित राशन कार्डधारी इस अवधि में मिलने वाली खाद्यान्न से वंचित रहे :– (1) चमकु कोरवा (2) करीमन कोरवा (3) धनेश्वर कोरवा (4) बंधू कोरवा (5) संतोष कोरवा (6) धर्मपाल कोरवा (7) जीतन कोरवा (8) पिंजरा कोरवा (9) चितरा कोरवा (10) सुगली कुवंर (11) दशु कोरवा (12) पोकता कोरवा (13) चमरू कोरवा (14) सुजा कोरवा (15) तिरपन कोरवा (16) रामकी कोरवा (17) मुखलनी देवी (18) थउला कोरवा (19) बैजनाथ कोरवा (20) रूसन कोरवा (21) राजू कोरवा (22) दिलबसिया देवी (23) तेतरी देवी (24) रामब्रत कोरवा एवं (25) बीरबल कोरवा कुल–25 लाभुक 08 माह वंचित रहे।

(26) टिगड़ा कोरवा–14 माह वंचित रहे।

(27) कुलची देवी, (28) शर्मा कोरवा, (29) गुठलू कोरवा कुल–03 लाभुक 15 माह वंचित रहे।

(30) शिबध कोरवा–16 माह वंचित रहे।

(31) कोका कोरवा–19 माह वंचित रहे।

उल्लेखनीय है कि NFSA के तहत आच्छादित लाभुकों को खाद्यान्न न मिलने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। इस संबंध में इस कार्यालय का पत्रांक–219

30

दिनांक–05.03.2022 के द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा से वांछित कुल–31 AAY कार्डधारियों को प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, भण्डरिया–सह–बड़गड़ के पत्रांक–19, दिनांक–05.03.2022 के आलोक में खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराने एवं दोषी पदाधिकारी/कर्मी को चिन्हित करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए दिनांक–12.03.2022 को उपस्थित होने हेतु निदेश दिया गया।

दिनांक–12.03.2022 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा से अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। इन्हें दिनांक–22.03.2022 तक निश्चित रूप से प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए निर्धारित तिथि को उपस्थित होने हेतु निदेश दिया गया।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा के पत्रांक–243, दिनांक–22.03.2022 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। इनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 31 PVTG लाभुको को खाद्य सुरक्षा भत्ता के तहत मो0–380765/–(तीन लाख अस्सी हजार सात सौ पौसठ) रूपये का भुगतान कर दिया गया है। परन्तु शिकायत से स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, भण्डरिया–सह–बड़गड़/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा इस कृत्य के लिए दोषी प्रतीत होते है। इनके द्वारा नियमानुसार जॉच के उपरांत ही लाभुको का राशन कार्ड रद्द करना चाहिए था। जिसकी कमी परिलक्षित हो रही है।

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को निदेश दिया जाता है कि दोषी पर अग्रेतर कार्रवाई करें।

अतः इस आधार पर वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

ह०/–

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
–सह–अपर समाहर्त्ता, गढ़वा।

ह०/–

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
–सह–पर समाहर्त्ता, गढ़वा।

ज्ञापांक 296/रा०, दिनांक 22.3.2022

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची के पत्रांक–108, दिनांक–03.02.2022 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/03/2022

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
–सह–अपर समाहर्त्ता, गढ़वा।